बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय
पंत भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, बिहार, पटना - 800001

आवंटनादेश संं०-01/दि0स0नि0(बजट)-08/2026 स.क.- पटना, दिनांक-

प्रेषक,

भुवन कुमार,
उप निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सहायक निदेशक-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के सामान्य घटक से मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल रू० 7,68,75,000/- (सात करोड़ अड़सठ लाख पचहत्तर हजार रूपये) मात्र का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-3/यो०स०क०-20/2022-10 दिनांक-13.04.2026 (संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के सामान्य घटक में कुल रू० 45,06,30,000/- (पैतालीस करोड़ छः लाख तीस हजार रूपये) मात्र के राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत राशि के आलोक में उद्योग विभाग, बिहार के माध्यम से क्रियान्वित मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल रू० 7,68,75,000/- (सात करोड़ अड़सठ लाख पचहत्तर हजार रूपये) मात्र का आवंटन दिया जाता है ।

2. यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिये गये पूर्व के आवंटनादेश के अतिरिक्त है ।

3. भारित राशि की निकासी मांग सं0-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, उप शीर्ष-0119-मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल), विषय शीर्ष-0119.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन, विपत्र कोड 51-2235021010119 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-12888/वि० दिनांक-03.12.2024, 236/वि० दिनांक-09.03.2026, 2956/वि० दिनांक-25.03.2026, 314/वि० दिनांक-01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी आवंटन के आलोक में बिहार वित्तीय नियमों का पालन करते हुए, सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी ।

6. सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा राशि की निकासी कर उद्योग मित्र, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पी०एल० खाता सं०-PBBPLA018 में राशि CFMS के माध्यम से हस्तांतरित/भुगतान करेंगे तथा उक्त राशि के विरूद्ध व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसका सामंजन करना सुनिश्चित करेंगे।

7. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम सं०-270 के आलोक में योजना के अन्तर्गत राशि की निकासी BTC Form 42 पर करने की स्वीकृति दी जाती है ।

8. भुगतान राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उद्योग मित्र, उद्योग विभाग द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसे निदेशालय द्वारा महालेखाकार कार्यालय को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम सं०-271 के अनुसार BTC Form 42A में भेजा जायगा ।

9. यह चालू योजना है । अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. प्रस्ताव पर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन
ह०/-
उप निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः-01/दि0स0नि0(बजट)-08/2026 स.क.- पटना, दिनांकः-

प्रतिलिपिः-महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-
उप निदेशक

ज्ञापांकः-01/दि0स0नि0(बजट)-08/2026 स.क.- पटना, दिनांकः-

प्रतिलिपिः-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-
उप निदेशक

ज्ञापांकः-01/दि0स0नि0(बजट)-08/2026 स.क.- 07 पटना, दिनांकः- 19.05.2026

प्रतिलिपिः-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित (आवंटनादेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित)।

19.5.26
उप निदेशक